फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर /उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

राऊ राम पुत्र उगा राम जाति जाट नि0 बाढा गुडामालानी बनाम लानगा पुत्र उगा राम चौरा (अ) जाति जाट नि0 बाढा
(4) शाखा प्रबन्धक S.B.I गुडामालानी
(5) शाखा प्रबन्धक BCCB गुडामालानी
(6) शाखा प्रबन्धक RMB
(7) तहसीलदार गुडामालानी

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अधि. मुकदमा नम्बर 70 / 21

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/8/21	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री मानाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू0–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/8/21 को पेश हो । (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर SDO (गुड़ामालानी	(551 नोटिस 13-8-21)
27/8/21	पत्रावली पेश हुई । आज पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर है । अतः इलतवा होकर पत्रावली आइन्दा 8/10/21 को पेश हो ।	
08/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प चौहटन पेश हुई। पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हुआ है। इलतवा होकर पत्रावली दि0 7/1/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर SDO (गुड़ामालानी	
7/1/22	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इलतवा होकर पत्रावली आइन्दा 19/1/22 को पेश हो ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश हुई। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति से दिनांक 16.02.2022 को अधिनस्थ तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा करवाकर खातेदारी अलग करवा दी गई है जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष वादका मकसद समाप्त हो चुका है, उद्देश्य तथा वादकरण समाप्त हो जाने से यह वाद चलने योग्य नहीं है। तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा पारित आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में भी अमल दरामद किया जा चुका है अर्थात वादग्रस्त आराजी का अब बंटवाडा का वाद विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रकिया सहिता से वर्जित (barred by law) एवं बिना विधिक अधिकारिता (locus standy) के विचाराधीन है लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रकिया संहिता से वर्जित एवं बिना विधिक अधिकारिता का होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के वकील की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण को धोखे में रखकर बंटवाडा करवाया गया है जिसकी अपील सक्षमय न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष पेश की जा चुकी है। वादीगण द्वारा उक्त वाद विधिअनुसार ही संयुक्त खातेदारी की खातेदारी में अपने हिस्से की अलग कर प्रतिवादीगण से बंटवाडा करवाने का यह वाद पेश किया है जो श्रीमान के न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार ही है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वादीगण का वाद किसी भी प्रकार से खारिज योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र वादीगण के वाद पत्र को लम्बित करने की मंशा से लगाया है जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहराई से अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आपसी सहमति से विभाजन करवाया जा चुका है। आपसी सहमति से विभाजन के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। आपसी सहमति के विभाजन के समबन्ध में यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति है तो उस विभाजन की अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष ही पेश की जा सकती है, जिसके सम्बन्ध में वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में स्वीकार किया है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध मे अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष की जा चुकी है।

इस प्रकार वादीगण व प्रति[illegible] जाने के उपरान्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद का कोई वाद [illegible] है।

आदेश 7 नियम 11 सी.पी.[illegible] में ही वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है:–

1. कि जहां वादकारण [illegible] है।
2. जहां दावा अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर कुछ समय भीतर

नायब कलक्टर गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जो न्यायालय ने निहित किया है ऐसा करने में असफल ...

3. जहां दावा कृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र ... पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प देने के लिये न्याया... अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय में निहित कि... ऐसा करने में असफल रहता है।

4. जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित है।

5. जहां डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।

6. जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन में असमर्थ रहता है।

आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र खारिज किये जाने के बिन्दु संख्या 1 'कि जहां वादकारण प्रकट नहीं करता है।' एवं बिन्दु संख्या 4 के अनुसार ''जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित है' के अनुसार वादीगण का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद पत्र उपरोक्त विवेचन के अनुसार विधि द्वारा वर्जित होने तथा न्यायालय क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप कलेक्टर, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner